

2021/865

# “प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

( भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत )

श्रीमान् उपरखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ..... की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 2016-17 ..... की खाता संख्या 12 ..... में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंकर लाल शर्मा दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंकर लाल शर्मा हैं।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

मोतीलाल

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंकर लाल शर्मा के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंकर लाल शर्मा दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त .....  
9-5-22

पटवारी हस्ता .....  
[Signature]


**“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”**

**रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार**

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कुन्दनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्दनपुर

के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंका जारि माली

रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है।


  
तहसीलदार साँगोद

**आदेश**

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कुन्दनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्दनपुर

तहसीलदार साँगोद की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति मोतीलाल पुत्र शंका

जारि माली दर्ज रिकार्ड की जाए।

  
उपखण्ड अधिकारी साँगोद

# “प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

( शिविर स्थान )

आदेश

दिनांक

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी

व. भू. अ. नि

नायब तहसीलदार

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

जिला

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
		12	श्रीविसाल पुर शेख जाति खंडा - जाति गली	

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- 2834

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार

2. प्रार्थी श्री

3. रक्षित पत्रावली

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

को सूचनार्थ ।

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा